चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा

(राज्य विधानमंडल अधिनियम संख्या 9, 2003 द्वारा स्थापित)

कार्यालय आदेश

पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक ईएसटीटी/2026/एई–। और ।।/ओ–252/वॉल. ।।।/4453–4540 दिनांक 29.07.2026 के माध्यम से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फाइलों को पूर्ण एवं सही तथ्यों तथा सभी संबंधित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने तथा अपने हस्ताक्षर के नीचे आधिकारिक नाम–मोहर (name stamp) लगाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। सभी संबंधितों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि **उक्त अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का सख्त एवं अनिवार्य रूप से अनुपालना सुनिश्चित करें।**

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने अभी तक अपनी आधिकारिक नाम–मोहर (name stamp) तैयार नहीं करवाई गई है, वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से दो दिनों के भीतर अपनी नाम–मोहर तैयार करवाना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित विभागाध्यक्ष/शाखा अधिकारिय अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। 17 अगस्त 2026 से नाम–मोहर (name stamp) के बिना प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी फाइल को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा निर्देशों की अनुपालना न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

डा. सुनील कुमार
कुलसचिव

पत्र क्रं. 2496 – 2502 दिनांक 13/8/26

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैरू–

1. सभी संकायों के अधिष्ठाता, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
2. अधिष्ठाता, यूएसजीएस, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
3. सभी निदेशक/अध्यक्ष/प्रभारी, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
4. निदेशक, यूआईटीडीसी, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा (इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।)
5. सभी शाखा अधिकारी, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
6. संयुक्त निदेशक (ऑडिट), चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
7. कुलपति के निजी सचिव (आदरणीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ), चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।

देवेन्द्र
अधीक्षक
कुलसचिव कार्यालय